उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
सं0 1416 /वि0अनु0–5/व्या0क0/2003
देहरादून :: :: दिनांक :: 28 :: नवम्बर, 2003

आयुक्त कर,
उत्तरांचल, देहरादून।

टैन्ट व्यवसायियों पर वित्तीय वर्ष 2001–2002 वर्ष 2002–2003तथा वर्ष 2003–2004में माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर व्यापार कर के विकल्प में एक मुश्त समाधान धनराशि स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश ।

टैन्ट व्यवसाइयों पर वित्तीय वर्ष 2001–2002 वर्ष 2002–2003 तथा वर्ष 2003–2004 के लिये टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी कालीन दरी, चादर, गद्दा, तकिया रजायी, कम्बल, किचेन वेयर, सजावट के सामान आदि के माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर व्यापार कर के विकल्प में उत्तरांचल (उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2003) की धारा 7–डी के अन्तर्गत समाधान राशि निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार की जायेगी ।

1– टैन्ट व्यवसाइयों का तात्पर्य ऐसे व्यवसायियों से है जो टैन्ट कनात, मेज, कुर्सी , कालीन दरी, चादर सजावट के सामान आदि के माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण अन्य टैन्ट व्यवसायी अन्यथा अन्य ग्राहकों को करते है।

2– सामाधान धनराशि वर्ष के प्रारम्भ में व्यवसायियों के पास उपलब्ध स्टाक के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है–

समाधान धनराशि

वर्ष	एक लाख रूपये तक का स्टाक	एक लाख रूपये से 5 लाख रूपये तक का स्टाक	5लाख रूपये से 15 लाख रूपये तक का स्टाक	15लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक का स्टाक
2001–2002	रू0 400.00	रू0 1,757.00	रू0 9,264.00	रू0 30,000.00
2002–2003	रू0 400.00	रू0 2,108.00	रू011,117.00	रू0 30,000.00
2003–2004	रू0 400.00	रू0 2,215.00	रू011,675.00	रू0 31,500.00

3–जो व्यवसायी देय व्यापार कर के स्थान पर धारा –7घ में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते है, वे ऐसा प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप में उपरोक्तानुसार समाधान धनराशि के जमा करने के प्रमाण के साथ वर्ष 2001–2002 के लिये 31 दिसम्बर 2003 तक, वर्ष 2002–2003 के लिये 31 जनवरी 2004 तक एवं वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये 28 फरवरी 2004 तक कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

4– जो व्यवसायी समाधान योजना एक बार अपना लेंगे उन्हें इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वे सामाधान योजना का विकल्प वापस ले लें ।

5– जो व्यवसायी एक से अधिक जनपदों मं कार्य करते है, वह अपने मुख्यालय की घोषणा सम्बन्धित मुख्यालय के कर निर्धारक अधिकारी को देंगे तथा अन्य जिलों के ऐसे व्यापार कर अधिकारियों, जिनके क्षेत्र में उनका उप–व्यापार स्थल स्थित है, को भी सूचित करेंगे। जिन व्यवसायियें का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर अथवा भारत वर्ष के बाहर हो तथा उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जिलों में कार्य किया जाता हो ऐसे व्यवसायी उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी एक कार्यस्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करेंगे।

6– कमिश्नर व्यापार कर को यह अधिकार होगा कि वह सामान्य रूप से अथवा किसी विशेष मामले में समाधान योजना में शामिल होने के लिये विकल्प प्रार्थना–पत्र देने का समय बढ़ा सके, किन्तु प्रस्तर–3 में उल्लिखित अवधि के पश्चात् समाधान राशि जमा करने के विकल्प की अवधि के लिये 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा।

7– समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2003) की धारा–8 में भू–राजस्व को बकाया के रूप में की जायेगी तथा धारा 14 तथा 15 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

8– यदि यह पाया जाता है ताकि व्यवसायी द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिये प्रार्थना–पत्र /शपथ–पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई गलत विवरण दिया गया है तो कर निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह एकमुश्त धनराशि, जमा करने के सम्बन्ध में हुये अनुबन्ध को निरस्त कर सके तथा नियमानुसार कर निर्धारण, अर्थदण्ड अथवा अभियोजन की कार्यवाही कर सकें।

9– समाधान योजना अपनाने वाले व्यवसायी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अप्रैल की प्रथम तिथि को अपना स्टाक समाधान योजना के प्रार्थना–पत्र के साथ घोषित किया जायेगा।

10– यदि कोई टैन्ट कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर सजावट के सामान आदि के माल के प्रयोग के लिये अधिकार के हस्तान्तरण के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार करता है तब ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

11–समाधान योजना के सम्बन्ध में घोषित स्टाक के मूल्य का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी सर्वेक्षण एवं अभिलेखों की जॉच कर सकेंगे। व्यवसायी इस जॉच में सहयोग करेंगे। असहयोग की स्थिति में उनका समाधान प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

12–समाधान योजना जारी होने के तीन माह के अन्दर जो व्यवसायीसमाधान योजना का विकल्प नहीं चुनेंगे, उनके मामलों में पंजीयन प्राप्त करने तथा मासिक/ त्रैमासिक रूपपत्र प्रस्तुत न करने और स्वीकृत देय कर जमा करने के मामलों में विधि अनुसार अर्थदण्ड आदि की कार्यवाहियों तत्परतापूर्वक की जायेगी।

13– वर्ष 2001–2002, 2002–2003 व 2003–2004 के लिये जिन व्यवसाईयों द्वारा समधान योजना के पूर्व धनराशि जमा की जा चुकी है, समाधान योजना अपनाने पर जमा धनराशि का समायोजन सम्बन्धित वर्ष के लिये लागू समाधान योजना में कर दिये जायेगा।

(विजय कुमार चन्दोला)
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल, शासन

प्रारूप–1

उत्तरांचल के टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचन केयर, सजावट के सामान आदि के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर व्यापार कर के विकल्प में उत्तरांचल व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत समाधान हेतु प्राथना पत्र।

सेवा में,

व्यापार कर अधिकारी
खण्ड.....
मण्डल / उपमण्डल.....

महोदय,

मैं, फर्म का सर्वश्री..... जिसका मुख्यालय .....पर स्थित है तथा जिसे उत्तरांचल व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 8–क में.....कार्यालय..... द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या..... ..... दिनांक..... से प्रभावी जारी किया गया का स्वामी / साझीदार..... ..... हूँ। मैंने टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचन वेयर, सजावट के सामान आदि की उक्त अवधि में किये गये माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय व्यापार कर के विकल्प में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तरांचल, शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ लिया है अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भली भांति समझ लिया है। उस निर्देश की सभी शर्ते मुझे मान्य है। उन्हीं के अधीन में यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचन वेयर, सजावट के सामान आदि..... की अवधि के किये गये माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय व्यापार कर के स्थान पर उत्तरांचल व्यापार कर अधिनियम 1948 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ–पत्र / अनुबन्ध के अनुसार रूपया..... स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। उक्त धनराशि रूपया..... ..... तथा उस पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है जिसका चालान संलग्न है मैं..... यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण मेरा यह निवेदन वापस निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक..... को मेरे यहाँ स्टाक निम्नवत थाः–

क्रम संख्या	माल का विवरण (साइज के अनुसार अलग–अलग)	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
1				
2				
3				
4				
5				
योग				

मेरी उपर्युक्त फर्म द्वारा अन्य कोई व्यापार नहीं किया जाता है। मेरी फर्म द्वारा उपर्युक्त माल के प्रयोग के अधिकार के हस्तान्तरण के अतिरिक्त भी व्यापार किया जाता है। ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में उत्तरांचल व्यापार कर अधिनियम 1948 के प्राविधानों के अर्न्तगत रिटर्न प्रस्तुत करने, कर जमा करने, कर निर्धारण करने की नियमित कार्यवाही कराऊँगा। भविष्य में भी अन्य व्यापार प्रारम्भ करने की स्थिति में भी यही प्राविधान मान्य होगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म..... ..... के स्वामी / साझीदार..... है। तथा इस प्रार्थना–पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पूरा पता.....

आवश्यकतानुसार अवधि / तिथि का उल्लेख किया जाये।

प्रारूप–2

शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र

समक्ष व्यापार कर अधिकारी
खण्ड.....
मण्डल / उपमण्डल.....

मैं.....पुत्र श्री..... आयु लगभग..... वर्ष स्थायी निवासी ..... (पूरा पता) ....शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि–

1– मैं फर्म सर्वश्री..... जिसका मुख्यालय..... (पूरा पता) स्थित है का स्वामी / साझीदार हूँ..... (प्रास्थिति) हूँ। तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2– मेरी फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् हैं–

पूरा पता	वस्तुऐं जिन्हें किराये पर दिया जाता है
1– मुख्यालय	
2– शाखायें	
(अ)	
(ब)	
(स)	

इसके अतिरिक्त प्रदेश में मेरी कोई अन्य शाखा नहीं है।

3– उत्तरांचल टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचन वेयर, सजावट के सामान आदि में माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय व्यापार कर के स्थान पर उत्तरांचल व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 7–डी के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एक मुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा कमिश्नर व्यापार कर, उत्तरांचल द्वारा शासन के निर्देशो एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा कमिश्नर,व्यापार कर उत्तरांचल द्वारा दिये गये आदेशों एंव प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चूकी है तथा सभी निर्देश, शर्ते, आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेगें।

4– मेरी उक्त फर्म के अपने निजी टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, तकिया, रजायी, कम्बल, किचन वेयर, सजावट के सामान आदि का दिनांक 1 अप्रेल 2001 तथा 1 अप्रेल 2002 एवं 1 अप्रेल 2003 को निम्नलिखित विवरण के अनुसार माल स्टाक में था / है–

क्रम संख्या	माल का विवरण (साइज के अनुसार अलग–अलग)	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
1				
2				
3				
4				
5				
योग				

(आवश्यकतानुसार अलग संलग्नक का प्रयोग किया जा सकता है)

5– प्रस्तर 4 में अंकित स्टाक, मात्रा, मूल्य तथा इसी तालिका में प्रस्तर 4 में अंकित धनाशि का कुज योग दिनांक..... को रूपया..... था, जिसके अनुसार समाधान राशि मेरी फर्म/ हमारी फर्म द्वारा देय होगी।

6– यदि वित्तीय वर्ष दिनांक..... से..... तथा वित्तीय वर्ष दिनांक..... .....से दिनांक..... के लिये मेरा समाधान धनराशि का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध के अनुलग्नक 1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर व्यापार कर द्वारा लगाई गयी शर्तो/ प्रतिबन्धों में दिये गए आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिये बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाये गये प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तरांचल सरकार तथा व्यापार कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियां मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगी।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं कि..... उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र/ अनुबन्ध के प्रस्तर 1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तो और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता.....
तिथि एवं स्थान.....